

धर्म 80 C.P.C. का नोटिफिकेशन खंडीत तदनुसार  
 के तहत कि है जिसके अंतर्गत में व्यवस्था  
 व्यवस्था वाली बात कोई उचित तदनुसार पेश  
 नहीं किया। वकील वादी को अवसर दिया  
 जाता है कि 2 सप्ताह की अवधि में सत्यापित  
 जमाखर्ची की तदनुसार पेश करे एवं 80 C.P.C.  
 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत में अपना मत स्पष्ट  
 करे। ~~आदेश सुने~~ आदेश तिरकरने के  
 उपरान्त न्यायालय समय में बार-बार  
 आवाने लगवाए गए। परन्तु वादी स्वयं या  
 उनके अधिवक्ता कोई उपाक्षेप नहीं हुए।  
 विहाय प्रकृत अदम पैसी / अदम धजली  
 में खारीज किया जा रहा है। पत्रावली फैल  
 शुभान ही कर नम्बर से कर ही। निर्णय  
 सुने न्यायालय में हुआ गया।



सहायक कलक्टर  
 (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ  
 जिला-राजसमंद

(Faint, illegible handwritten text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.)